

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2016/ज्येष्ठ 4, 1938

No. 222]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2016/ JYAISTHA 4, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 10 मई, 2016

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/एल.ए.डी. - एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
2. वे 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,
 - I. विनियम 33 में,

- i. उप-विनियम (3) में, खंड (घ) में,-
 - क) शब्दों "वित्तीय वर्ष के लिए" के पश्चात् और शब्दों "लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों" से पूर्व, शब्द "वार्षिक" अंतःस्थापित किया जाएगा;
 - ख) शब्दों और चिह्नों "या तो प्ररूप क (अनमॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु), या प्ररूप ख (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु)" के लिए, शब्द और चिह्न "लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण (केवल मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु लागू)" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;
 - ग) परंतुक में, शब्दों और चिह्नों "या तो प्ररूप क (अनमॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु), या प्ररूप ख (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु)" के लिए, शब्द और चिह्न "लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण (केवल मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु लागू)" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;
 - घ) परंतुक में, चिह्न "।" के लिए, चिह्न ":" प्रतिस्थापित हो जाएगा;
 - ङ) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,
 "परंतु यह और कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन (ओपिनियन्स) सहित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के मामले में, सूचीबद्ध एंटिटी वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रकाशित करते समय, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगी।";
- ii. उप-विनियम (4) में,
 - क) शब्दों और चिह्नों "प्ररूप क (अनमॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु) एवं प्ररूप ख (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु)" के लिए, शब्द और चिह्न "लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु)" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;
 - ख) शब्दों "समय-समय पर" को हटा दिया जाएगा;
- iii. उप-विनियम (6) में,
 - क) शब्दों "प्ररूप ख" के लिए, शब्द और चिह्न "लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु)" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;
 - ख) शब्दों और चिह्नों "तथा अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति द्वारा अनुसूची-VIII में यथा विनिर्दिष्ट रीति से" के लिए, शब्द "द्वारा" प्रतिस्थापित हो जाएगा;

- iv. उप-विनियम (7) को हटा दिया जाएगा;
- II. विनियम 34 में, उप-विनियम (2) में, खंड (क) में, चिह्न ";" के लिए, शब्द और चिह्न ", तथा लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण [विनियम 33(3)(घ) में यथा निर्धारित], यदि लागू हो;" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;
- III. विनियम 52 में,
- i. उप-विनियम (3) में, खंड (क) में,
- क) शब्दों और चिह्नों "या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु प्ररूप क, या मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु प्ररूप ख" के लिए, शब्द और चिह्न "लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण (केवल मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु लागू)" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;
- ख) चिह्न "।" के लिए, चिह्न ":" प्रतिस्थापित हो जाएगा;
- ग) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,
- "परंतु यह कि, अनमॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के मामले में, सूचीबद्ध एंटिटी वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रकाशित करते समय, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगी।";
- ii. उप-विनियम (3) में, खंड (ख) में,
- क) शब्दों "प्ररूप ख" के लिए, शब्द और चिह्न "लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु)" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;
- ख) शब्दों और चिह्नों "और क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट रिव्यू कमिटी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति) द्वारा अनुसूची-VIII में विनिर्दिष्ट रीति से" के लिए, शब्द "द्वारा" प्रतिस्थापित हो जाएगा;
- iii. उप-विनियम (3) में, खंड (ग) को हटा दिया जाएगा;
- iv. उप-विनियम (3) में, खंड (घ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
- "लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु) का लागू फॉर्मेट बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित रीति में होगा।";
- IV. विनियम 53 में, खंड (क) में, चिह्न ";" के लिए, शब्द और चिह्न ", तथा लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण [विनियम 52(3)(क) में यथा निर्धारित], यदि लागू हो;" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;

V. विनियम 95 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा:

"लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण और उसके साथ संलग्न वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

95. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विनियम 33 के उप-विनियम (3) के खंड (घ) तथा विनियम 52 के उप-विनियम (3) के खंड (क) के अनुसार प्रस्तुत लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण और उसके साथ संलग्न वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करेगा (करेंगे)।"

VI. अनुसूची-IV में, भाग-क में, खंड ख में,

क) शब्दों "कोई मॉडिफाइड ओपिनियन" के पश्चात् और शब्दों "को अभिव्यक्त किया हो" से पूर्व दिए हुए शब्दों "या अन्य रिज़र्वेशन" को हटा दिया जाएगा;

ख) शब्दों "ऐसी मॉडिफाइड ओपिनियन" के पश्चात् और शब्दों "को और लाभ या हानि" से पूर्व दिए हुए शब्दों "या अन्य रिज़र्वेशन" को हटा दिया जाएगा;

ग) शब्दों "प्रति शेयर आमदनी" के पश्चात् और शब्दों तथा चिह्नों "या किसी अन्य वित्तीय मद (किन्हीं अन्य वित्तीय मदों)" से पूर्व शब्द और चिह्न ", कुल व्यय, कुल दायित्वों" अंतःस्थापित किए जाएँगे;

घ) शब्दों "जो मॉडिफाइड ओपिनियन" के पश्चात् और शब्दों "के कारण प्रभावित हो सकेंगे" से पूर्व दिए हुए शब्दों "या अन्य रिज़र्वेशन (रिज़र्वेशन्स)" को हटा दिया जाएगा;

ङ) खंड ख के पश्चात्, निम्नलिखित नए प्रावधान (उपबंध) अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात् -
"खक. यदि लेखापरीक्षक ने कोई मॉडिफाइड ओपिनियन अभिव्यक्त किया हो (किए हों), तो सूचीबद्ध एंटीटी के प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) के पास लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का विकल्प होगा और जिन्हें लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु) में सम्मिलित किया जाएगा।

खख. लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों की बाबत, जहाँ संप्रेक्षण के प्रभाव का सटीक निर्धारण न किया जा सकता हो (क्वैन्टीफ़िएबल न हो), तो वहाँ :

i. प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) प्राक्कलन करेगा और लेखापरीक्षक उसकी समीक्षा करेगा तथा तदनुसार रिपोर्ट करेगा; या

ii. यदि प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) प्राक्कलन करने में असमर्थ हो, तो वह उसके कारणों का उल्लेख करेगा और लेखापरीक्षक उनकी समीक्षा करेगा तथा तदनुसार रिपोर्ट करेगा।

उपरोक्त को लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु) में सम्मिलित किया जाएगा।";

VII अनुसूची- VII को हटा दिया जाएगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./106]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
 - (क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी. एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th May, 2016

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS)

(AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/001.— In exercise of the powers conferred by section 11, sub section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall come into force on the 1st day of April, 2016.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
 - I. in regulation 33,
 - i. in sub regulation (3), in clause (d),—
 - a) after the words “listed entity shall submit” and before the words “audited standalone financial results”, the word “annual” shall be inserted;
 - b) for the words and symbols “either Form A (for audit report with unmodified opinion) or Form B (”, the words and symbols “Statement on Impact of Audit Qualifications (applicable only” shall be substituted;
 - c) in the proviso, for the words and symbols “either Form A (for audit report with unmodified opinion) or Form B (”, the words and symbols “Statement on Impact of Audit Qualifications (applicable only” shall be substituted;
 - d) in the proviso, for the symbol “.”, the symbol “:.” shall be substituted;

- e) after the proviso, the following new proviso shall be inserted, namely, “Provided further that, in case of audit reports with unmodified opinion(s), the listed entity shall furnish a declaration to that effect to the Stock Exchange(s) while publishing the annual audited financial results.”;
 - ii. in sub regulation (4),
 - a) for the words and symbols “Form A (for audit report with unmodified opinion) & Form B (for audit report with modified opinion)”, the words and symbols “Statement on Impact of Audit Qualifications (for audit report with modified opinion)” shall be substituted;
 - b) the words “from time to time” shall be deleted;
 - iii. in sub regulation (6),
 - a) for the words “Form B”, the words and symbols “Statement on Impact of Audit Qualifications (for audit report with modified opinion)” shall be substituted;
 - b) the words and symbols “and Qualified Audit Report Review Committee in manner as specified in Schedule VIII” shall be deleted;
 - iv. sub regulation (7) shall be deleted;
- II. in regulation 34, in sub regulation (2) in clause (a), for the symbol “;” the words and symbols “, and Statement on Impact of Audit Qualifications as stipulated in regulation 33(3)(d), if applicable;” shall be substituted;
- III. in regulation 52,
 - i. in sub regulation (3), in clause (a),
 - a) for the words and symbols “either Form A for audit report with unmodified opinion, or Form B”, the words and symbols “Statement on Impact of Audit Qualifications (applicable only)” shall be substituted;
 - b) after the words and symbol “for audit report with modified opinion”, the symbol “)” shall be inserted;
 - c) for the symbol “.”, the symbol “:” shall be substituted;
 - d) after the clause (a), the following proviso shall be inserted, namely, “Provided that, in case of audit reports with unmodified opinion, the listed entity shall furnish a declaration to that effect to the Stock Exchange(s) while publishing the annual audited financial results.”;
 - ii. in sub regulation (3), in clause (b),
 - a) for the words “Form B”, the words and symbols “Statement on Impact of Audit Qualifications (for audit report with modified opinion)” shall be substituted;
 - b) the words and symbols “and the Qualified Audit Report Review Committee in the manner as specified in Schedule VIII” shall be deleted;
 - iii. in sub regulation (3), clause (c) shall be deleted;
 - iv. in sub regulation (3), in clause (d),
 - a) for the word “formats”, the word “format” shall be substituted;
 - b) for the words “Form A and Form B”, the words and symbols “Statement on Impact of Audit Qualifications (for audit report with modified opinion)” shall be substituted;
 - c) after the words “shall be” and before the words “specified by the Board”, the words “in the manner as” shall be inserted
 - d) the words “from time to time” shall be deleted;
- IV. in regulation 53, in clause (a), for the symbol “;” the words and symbols “, and Statement on Impact of Audit Qualifications as stipulated in regulation 52(3)(a), if applicable;” shall be substituted;
- V. regulation 95 shall be substituted with the following:
 “Statement on Impact of Audit Qualifications accompanying Annual Audit Report.
 95. The recognised stock exchange(s) shall review the Statement on Impact of Audit Qualifications and the accompanying annual audit report submitted in terms of clause (d) of sub-regulation (3) of regulation 33 and clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 52.”
- VI. In Schedule IV, in Part A, in clause B,
 - a) after the words and symbols “expressed any modified opinion(s)” and before the words “in respect of audited financial results”, the words and symbols “or other reservation(s)” shall be deleted;
 - b) after the words and symbol “earning per share” and before the words and symbols “or any other financial item(s)”, the words and symbols “, total expenditure, total liabilities” shall be inserted;
 - c) after the words and symbols “such modified opinion(s)” and before the words “and cumulative impact”, the words and symbols “or other reservation(s)” shall be deleted;
 - d) after the words and symbols “due to modified opinion(s)” and before the words and symbol “,while publishing or submitting such results”, the words and symbols “or other reservation(s)” shall be deleted;
 - e) after clause B, the following new provisions shall be inserted, namely-
 “BA. If the auditor has expressed any modified opinion(s), the management of the listed entity has the option to explain its views on the audit qualifications and the same shall be

included in the Statement on Impact of Audit Qualifications (for audit report with modified opinion).

BB. With respect to audit qualifications where the impact of the qualification is not quantifiable:

- i. The management shall make an estimate and the auditor shall review the same and report accordingly; or
- ii. If the management is unable to make an estimate, it shall provide the reasons and the auditor shall review the same and report accordingly.

The above shall be included in the statement on impact of audit qualifications (for audit report with modified opinion).”;

VII. Schedule VIII shall be deleted.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT-III /4/Exty./106]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - (a) December 22, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.